कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन–834002 **Email ID : pccf-ednodal@gov.in**

पत्रांकः– 959 दिनांकः– 24/10/2024

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **132 के0भी0 डी/सी0 छतरपुर से जपला तक ट्रासमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 23.2676 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– वन विभागीय पत्रांक 3991 दिनांक 14.10.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं0 **FP/JH/Trans/150441/2021** हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1153 दिनांक 22.10.2024 द्वारा उनका मंतव्य उपलब्ध कराया गया है पत्र की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 834 दिनांक 10.09.2024 के क्रम में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

24/x/24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

24.10.24

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड

वन भवन, डोरण्डा, राँची

Email : pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744

पत्रांकः—924(WL)P/2024-25-1153 दिनांकः— 22/10/2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक —सह— कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषयः— 132 के0भी0 डी0/सी0 छतरपुर से जपला तक ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के लिए कुल 23.2676 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रसंगः— आपका पत्रांक 900 दिनांक 30.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न कर भेजे गये पार्ट—I एवं पार्ट—II के आधार पर समीक्षोपरान्त अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य है कि—

1. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के आस—पास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वन्यप्राणियों की उपलब्धता दर्शायी गयी है, अतः उक्त अपयोजन परियोजनाओं से होने वाली क्षति तथा वन्यप्राणी संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिपेक्ष्य में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Site Specific Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयवद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।
2. Site Specific Wildlife Management Plan के निर्माण में वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों के संभावित electrocution से बचाव के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 132 KV Transmission Line के संदर्भ में निर्गत दिशा—निर्देश (Guidelines) एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, अन्य सक्षम प्राधिकरण आदि द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश एवं निर्धारित तकनीकी विशिष्टियों का अनुपालन अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन,

22/10

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड।

22/10/24 22/10